International Journal of Applied Research 2017; 3(4): 882-885

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(4): 882-885
www.allresearchjournal.com
Received: 04-02-2017
Accepted: 05-03-2017

Surender Singh
Ph.D. Research Scholar, Department of A.I.H Culture & Archaeology, Gurukul Kangri, Vishwavidyalaya, Haridwar, Uttarakhand, India

Correspondence
Surender Singh
Ph.D. Research Scholar, Department of A.I.H Culture & Archaeology, Gurukul Kangri, Vishwavidyalaya, Haridwar, Uttarakhand, India

महिला सशक्तिकरण व पत्रकारिता के विकास में अम्बेड़कर विचारधारा का योगदानः एक अध्ययन

Surender Singh

प्रस्तावना

ड़ॉ. भीमराव अम्बेड़कर का नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उनका जीवन सामाजिक सुधार व भारतीय सामाजिक एकीकरण की अनोखी मिशाल है। एक अछूत होकर भी भारत रत्न बाबा साहेब ड़ॉ. भीम राव अम्बेड़कर एक चमकता हुआ सितारा बन गए। जिसके ज्ञान की ज्योति ने न केवल भारत में अपितु सम्पूर्ण विश्व में अपना प्रकाश फैलाया है। [1]

भारत रत्न ड़ॉ. भीम राव अम्बेड़कर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ई. को महू छावनी में हुआ। इनके पिता का नाम श्री रामजी सकपाल जी था। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। ड़ॉ. अम्बेड़कर को प्यार से भीम और भीवा कहकर पुकारा जाता था। उनका बचपन का नाम सकपाल था उन्होनें प्रारम्भिक शिक्षा सतारा और बंबई में प्राप्त की, इन्होंने एम.ए., पी.एचड़ी., ड़ी.लिट्., ड़ी.एस.सी. और बैरिस्टरी की उपाधियां विभिन्न विदेशों के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करके प्राप्त की। बड़ौदा नरेश की छात्रवृति पाकर अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अमेरिका गये। 1917 में बंबई सिड़ेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे तथा कुछ समय के बाद बाबा साहेब यूरोप गऐ जहां जर्मनी के बान विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के लंदन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया और वहां से अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य में ड़ी.एस.सी. की ड़िग्री प्राप्त की। 1923 में उन्होनें बैरिस्टरी की ड़िग्री प्राप्त की। [2]

मुख्य कृतियांः प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इवोल्यूशन ऑफ प्राविशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इण्ड़िया, कास्ट इन इण्ड़िया, स्माल होल्ड़िंग्स एण्ड़ देयर रेमेड़ीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फेड़रेशन वर्सेस फेड़रेशन, थॉटस ऑन पाकिस्तान, रानाड़े एण्ड़ जिन्ना, वाट कांग्रेस एण्ड़ गांधी हैव इन दू दि अनटचेबल्स ? हू वर द अनटचेबल्स एण्ड़ हाऊ दे बिकेम अनटचेबल्स ? हू वरदि शुद्राज ?इण्ड़ेनस ऑफ बुद्धिज्म, गास्पेल ऑफ बुद्धिज्म, रिड़ल्स ऑफ हिन्दुज्म आदि महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। 6 दिसम्बर 1956 को बाबा साहेब हमारे बीच से चले गये। राष्ट्र इस महान विभूति पर हमेशा गर्व करता रहेगा। [3]

महिला सशक्तिकरणः भारत रत्न बाबा साहेब ड़ॉ. अम्बेड़कर ने एक समाजवादी वैज्ञानिक होते हुए पहले स्त्रियों की स्थिति के बारे में गहन अध्ययन किया। ड़ॉ. अम्बेड़कर से पहले भी कई ऐसे समाज सुधारक हुए थे जिन्होंने समाज में महिलाओं पर अत्याचार को समाप्त करने हेतू अपने विचार दिये। 19वीं शताब्दी मे चले सामाजिक–धार्मिक आन्दोलनों जैसे ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, रामकृष्ण मिशन आदि उल्लेखनीय थे। लेकिन इन आन्दोलनों ने नारी समस्या को सही ढंग से नही उठाया, क्योंकि ये सभी मूलतः हिन्दु पुर्नउत्थानवादी विचारधारा के अनुयायी थे।

जो कि प्राचीन धर्म ग्रंथों और समाज व्यवस्था को आदर्श मानते थे। भारतीय समाज में नारी की समस्या दरअसल पूर्वाग्रह की समस्या थी, जिसकी जड़े दलित समस्या की तरह हिन्दुवादी धर्म ग्रन्थों में समाहित थी,जो नारी को शुद्र व सम्पति का दर्जा देते आये थे।इन ग्रंथों ने नारी की शिक्षा व सार्वजनिक जीवन सम्बन्धी हक छीन लिये थे। नारी मुक्ति के विषय में ड़ॉ. अम्बेड़कर ने अपने प्रारम्भिक विचार तब प्रकट किये जब वे दलित मुक्ति के आन्दोलन के दौरान से गुजर रहे थे। ड़ॉ. अम्बेड़कर के समक्ष जैसे ही संविधान निर्माण और हिन्दुकोड़ बिल के निर्माण का दायित्व आया तो इन्होंनें नारी के साथ दुर्व्याहार की समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान दिया और दलित वर्ग की तरह महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कानूनों व इनके अधिकारों के संरक्षण पर विशेष बल दिया। इस तरह उनके द्वारा बनाए गए संविधान में भारतीय महिलाओं को समान अधिकार मिले। इन्होंनें महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को साफ रहना चाहिए, बुराईयों से दूर रहना चाहिए, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए तथा शादी–विवाह जल्दी नही करनी चाहिए। [4]

ड़ॉ. अम्बेड़कर के अनुसार महिलाओं के उत्थान के बिना कोई समाज उन्नति नहीं कर सकता। वे भारतीय समाज के प्रमुख नेता थे। उन्होनें भारतीय समाज की विसंगतियों तथा असमानताओं का सविस्तार सविश्लेषणात्मक विवेचन किया। इन्होंने 'द राइज एण्ड़ फॉल ऑफ द हिन्दू वूमेन' नाम से एक लेख लिखा तथा इसे कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली महाबोधिक पत्रिका में प्रकाशित करवाया। महिलाओं को समानता व स्वतन्त्रता दिलाने के लिए ही बाबा साहब ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को भी जलाया। क्योंकि 'मनुस्मृति' नारी की समानता, एवं स्वतंत्रता की गिरावट का कारण थी। [5]

ड़ॉ. अम्बेड़कर ने महिलाओं की उन्नति में बड़ा परिवार व बाल–विवाह को बाधा माना। अतः इन्होंने 1938 में कुटम्ब नियोजन का विचार रखा था। उन्होंने सुझाव दिया कि सम्पत्ति नियम और परिवार नियोजन के लिए सरकार को जोरदार प्रचार करना चाहिए।ड़ॉ. अम्बेड़कर ने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की जिसके अन्तर्गत काम करने का निश्चित वेतन तथा औरतों के भूमिगत कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया। [6]

ड़ॉ. अम्बेड़कर ने भारतीय समाज में महिलाओं को सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए सवैधानिक प्रयास किया। उसने महिलाओं के लिए 'हिन्दू कोड़ बिल' बनाया तथा प्रथम विधि मन्त्री के रूप में भारतीय संसद में पेश किया। हिन्दू कोड़ बिल का जो मसौदा तैयार किया और इसे संसद में पेश किया इसके 9 भाग 139 धाराएं तथा 7 अनुसूचियां थी। यह बिल बाबा साहेब के दिमाग की उपज थी। इसको महिला मुक्ति का दस्तावेज कहा जा सकता है। यह बिल हिन्दू कानूनों में सुधारों का प्रयोजन था। ड़ॉ. अम्बेड़कर ने हिन्दू कोड़ बिल की कुछ धाराओं को चार टुकड़ों में विभाजित कर कानून का रूप दिया तथा संसद में पास करवाया। जो महिलाओं की दशा सुधारने में सहायता करते हैं। ये चार धाराएंइस प्रकार है।

1. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
2. हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956
3. हिन्दु एक दत्तक ग्रहण और जीवन–निर्वाह अधिनियम, 1956
4. हिन्दु अल्पव्यस्कता और संरक्षता अधिनियम, 1956

ड़ॉ. अम्बेड़कर ने संविधान के अध्याय तीन अनुच्छेद 12 से 35 में स्त्री और पुरुष सभी को समान मौलिक अधिकारों की व्याख्या की। अनुच्छेद 15 (1) राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म मूलवंश, लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा । इस अनुच्छेद की कई बातें राज्यों को स्त्रियों के लिए विशेष उपलब्ध करने से निवारित नहीं करेगी। [7]

भारतीय संविधान में महिलाओं की दासता की बेड़ियों को काटने एवं उन्हें समानता का अधिकार दिलाने संबंधी निम्न विधान बनाए गए है वे संक्षेप में इस प्रकार है 30 अगस्त 1947 को भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाईगई और इस सभा के द्वारा ड़ॉ. अम्बेड़कर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्षपद सौंपा गया। जिसे उन्होंनेपूरी तन्मयता से निभाया। बाबा साहेब ने संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति आस्था विश्वास पूजा व उपासना की स्वतन्त्रता अवसर की समानता, व्यक्तियों की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखण्ड़ता को बनाने वाली बन्धुता पर स्थापित करने का पवित्र संकल्प संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से 26 नवम्बर 1949 को प्रस्तुत किया। अनुच्छेद–23(1) के अन्तर्गत अवैध व्यापार बेगार बलात श्रम कराने पर रोक लगा दी गईहै यदिकोईव्यक्ति अनैतिक कार्य की दृष्टि से महिलाओं व बच्चों के व्यापार में संलिप्त पाया जाता है तो इसे कठोर दण्ड की व्यवस्था संविधान में की गई है। [8]

बाबा साहेब ड़ॉ. अम्बेड़कर ने महिलाओं के उत्थान हेतु संविधान के अध्याय चतुर्थ में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्यनीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। इन तत्त्वों में ऐसे प्रावधान निर्धारित किए है गए किइसेजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता मिले तथा उनके हितों की रक्षा के साधन हो। सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद–38 में राज्य सामाजिक कल्याण का कार्य करने व बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने का दायित्व सौंपा। अनुच्छेद 39 के द्वारा सभी स्त्री–पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन व जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया। अनुच्छेद 42 में नारी समानता

एवं प्रसूति सुविधा सम्बंधी विधान दिए गए है। अनुच्छेद–50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके सभी स्त्री और पुरुषों को स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार भारतीय समाज में अम्बेड़कर की विचारधारा महिलाओं को सदियों तक जागृत करती रहेगी। [9]

पत्रकारिता और ड़ॉ. अम्बेड़कर हिन्दुस्तान में पत्रकारिता के प्रारम्भ के साथ–साथ समाज में परिवर्तन की भी बात चलने लगी थी। पत्रकारिता का प्रारम्भ और सामाजिक उत्थान के लिए प्रयत्नशील संगठनों की कार्य विधि समानांतर चल रही है। इससे जाहिर है कि समाज के प्रत्येक वर्ग में पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन संबंधी चेतना जागृत हो चुकी थी। ड़ॉ. भीमराव अम्बेड़कर जी पत्रकारिता के क्षेत्र में 1920 से प्रवेश करते है। परन्तु दलित पत्रकारिता के पुरोधा ज्योतिबा फूले जोबाबा साहेब के गुरू थे। उन्होंनें दलित पत्रकारिता का प्रणयन बहुत पहले कर दिया था। अम्बेड़कर ने पत्रकारिता की शुरूआत अपने 'मुकनायक' पत्र के माध्यम से 31 जनवरी 1920 कोइन्होंनेसम्पादकीय माध्यमसे कहा कि–''हमारे इन भारतीय समाज के बहिष्कृत लोगों पर आज तक हुए और आगे होने वाले अन्यायों को वाणी देने के लिए केवल किसी समाचार पत्र के अलावा अन्य भूमि नहीं थी। [10] मूकनायक समाज केउन उपेक्षितों की वाणी के रूप में प्रकाशित हुआ।''ड़ॉ. अम्बेड़कर नेइतिहास से बहुत कुछ सबक लिया था। उन्होंने इतिहासकी उनसभी घटनाओं को भी बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया, जिनमें दलितों, महिलाओं, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचारों के उल्लेख मिलते हैं। इन सभी घटनाओं के अध्ययन से ही उन्हें इन वर्गो के बहिष्कृत किए जाने का कारण पता चला।इसीलिए उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में उन दबे कुचले वर्गो पर हो रहे अत्याचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। [11]

अप्रैल 1927 को बाबा साहेब ड़ॉ. भीमराव अम्बेड़कर ने एक नया समाचार–पत्र निकाला जो 'बहिष्कृत भारत'' मराठीभाषा में था। यह पाक्षिक पत्र था इसका उद्देश्य दलित संबंधी भारत में होने वाली घटनाओं की जानकारी देना था। यह पत्र भारतीय समाज में जागरूकता मंच की तरह कार्य कर रहा था। इस पत्र की वजह से दलितों में अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के प्रति चेतना जागृत हुई।पत्र का प्रत्येक संपादकीय बाबा साहब लिखते थे। इस पत्र की एक और विशेषता यह थी कि समाज में जातिगत विभाजन और अस्पृश्यता को लेकर प्रश्न पूछे जाते थे और इस पर प्रतिक्रिया दी जाती थी। यह पत्र 1929 तक निरन्तर छपता रहा। उसमें भारतीय समाज में हो रहे सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा धार्मिक विषयों पर शोधपूर्ण लेख लिखे गये। उस समय के विज्ञान लेखक ड़ॉ. गंगाधर पानतावाड़े, सुखाराम हिवरले उस पत्र के मुख्य लेखक थे। मराठी में होने के कारण यह पत्र विस्तार नही पा सका। लेकिन विचारोत्तेजक लेखों के कारण उसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। उसपत्र में कुल 33 अग्रलेख और 150 फुट लेख बाबा साहेब ने लिखे थे।

बहिष्कृत भारत के माध्यम से भारतीय समाज में छूत–अछूत का जो भेद था उस पर तीखी टिप्पणी की गई। 16 अक्तूबर 1923 को उन्होनें भारतीय समाज में देशी स्वराज पर टिप्पणी करते हुए लिखा ''गांधी जी द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाकर क्या हुआ? खान–मालिनी प्रकरण में ज्ञान प्रकाश की होली जलाकर क्या हासिल हुआ? साइमन कमीशन का बहिष्कार करके क्या हुआ? मिशनरियों की किताबों को जलाकर हिन्दुस्तान के लोगों को क्या मिला?''उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस देश में जनता के बीच अस्पृश्यता फैली हो वहां सबसे पहले इनधार्मिक ग्रंथों की होली जलनी चाहिए जिनसे ये भेद पैदा हुए। [12] बाबा साहेब ने दलितों, महिलाओं, पिछड़े वर्गो व अन्य शोषितों संबंधी की जाने वाली टिप्पणियों का विद्वतापूर्वक जवाब दिया क्योंकि बाबा साहेब का अध्ययन उतना व्यापक था कि वे भारतीय समाज में विभाजन की स्थिति तथा विभाजित करने वाले वर्ग की शक्ति को पहचानते थे। उन्होंने अपने बहिष्कृत भारत के संपादकीय में लिखा–''यदि बाल गंगाधर तिलक जैसी हस्ती बहिष्कृत समाज में जन्म लेती तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहने की बजाय यह कहते कि–''अस्पृश्यता को समूल नष्ट करना मेरा कर्तव्य है।''[13] क्योंकि बाबा साहेब की पत्र पत्रिकाओं ने भारतीय समाज में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बाबा साहेब ड़ॉ. अम्बेड़कर बहुत सहज होकर लिखते थे उनकेलेखों में समन्वयवादिता भी दिखाई देती है। इसके साथ–साथ सन्तुलन के भाव भी पाए जाते हैं। कारण स्पष्ट था कि भारतीय समाज में दलितों एवं गैर–दलितों के बीच वैमनस्य नहीं फैलने देना चाहते थे। इनकी पत्रकारिता का एक ही उद्देश्यथा कि किसी भी तरह भारतीय समाज जागृत हो। [14]

निष्कर्ष –बाबा साहब ड़ॉ अम्बेड़कर ने भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय दशा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अम्बेड़कर के द्वारा दिए गये संविधान में शिक्षा, समानता, संरक्षण के प्रावधान की बदौलत ही महिलाएं आज उन्नति के पथ पर अग्रसर है। बाबा साहब की समतामूलक विचारधारा के कारण हीं आज नारी देश की उन्नति में अपना योगदान दे रही है। विकास के हर क्षेत्र में वह चाहे राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक सुधार, वैज्ञानिक तथा खेल क्षेत्र है। सभी जगह महिलाएं अपनी एक खास भूमिका निभा रही है। यदि हम बाबा साहब कि विचारधारा को मानते हैं तो हम महिलाओं के प्रति समानता का दृष्टिकोण अपनाते हैं। क्योंकि अम्बेड़कर विचारधारा महिलाओं को पुरुष के समान सभी क्षेत्र में बराबरी का अधिकार देती है। इसीलिए हमें अम्बेड़कर विचारधारा को अपनाकर महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण सुधारना चाहिए।

बाबा साहब ने भारतीय पत्रकारिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। पत्रकारिता का समाज के प्रति दृष्टिकोण को आधार प्रदान किया। आज की पत्रकारिता में जो जागृति हम देखते हैं वह बाबा साहब की विचारधारा का परिणाम है। जिसमें हर वर्ग के लिए आवाज बूलंद की जाती है। इससे समाज के अनछूएं पहलूओं को भी देश की मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलता है।

अतः जिस प्रकार अम्बेड़कर ने समाज के दबे कुचले वर्गों जिसमें दलित, महिलाएं व अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं, के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाजउठाई और उनकोहक दिलाने की भरपूर कोशिश की तो आज की पत्रकारिता को भी समाज में बढ़ते अपराधों, आतंकवाद, भ्रूण हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार आदि बुराईयोंके खिलाफ ईमानदारीसे आवाज उठानीचाहिए। पत्रकारिता के विचार स्वतंत्र व स्पष्ट होने चाहिए। उन्हें राजनैतिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए।

संदर्भ

1. कुशवाहा, एस.के. *इन ऑनर ऑफ भारत रत्न बाबा साहब ड़ॉ. बी.आर.अम्बेड़कर,*पृ. 73
2. गुप्ता, एस.पी. *राष्ट्र के महान व्यक्तित्व*एस. पी.पब्लिकेशन चंड़ीगढ़,पृ.4
3. वही, पृ. 5
4. लांग्यान, आर.बी. *रिलवेन्स ऑफ थोटस ऑफ अम्बेड़कर इन द परजेन्ट टाईम,* पृ. 154
5. हिमांशु राय, *युग पुरुष बाबा साहेब ड़ॉ. अम्बेड़करसंघर्ष गाथा*समता प्रकाशन नई दिल्ली 1990, पृ. 203
6. हिमांशु राय, *पूर्वोद्धृत* पृ. 204
7. परम दीवान, राजपूत *–कान्टीच्यूशन ऑफ इण्ड़िया,*स्ट्रालिंग पब्लिशर्स, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979, पृ. 12–13
8. *वही,* पृ. 218
9. ड़ी. आर.जाटव, *ड़ॉ. अम्बेड़करसंविधान के मुख्य निर्माता,*पृ. 76–77
10. *पत्रकारिता और साहित्य,* पृ. 114
11. *वही,* पृ. 115
12. कवल भारती, *ड़ॉ. अम्बेड़कर एक पुनः मूल्यांकन*पृ सख्या113
13. *वही,* पृ. 114
14. *वही,* पृ. 115